FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0131 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/05/2026 11:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 19/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 19/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:43 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/05/2026 **Time (समय):** 09:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/05/2026 11:04:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 6.2 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE THANA, MUKTA PRASAD NAGAR, JILA BIKANER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ROHIT PANWAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** CHHAGANLAL PANWAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	3/382, MUKTA PARSAD NAGAR, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	1/153, MUKTA PARSAD NAGAR, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMKUMAR		पिता:RAMDHAN JANI	1. GRAM POST PANCHAYATIYA BAS,RANISAR,NOKHA,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 19.12.2025 समय 01.15 पीएम पर श्रीमाऩ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे युवक से मेरा आपसी परिचय करवाते हुए युवक का विवरण ब्यूरो का परिवादी श्री रोहित पंवार पुत्र श्री छगनलाल पंवार जाति जीनगर, उम्र 36 वर्ष स्थायी पता 1/153 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर वर्तमान पता 3/382 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर (मो.नं.) होना बताया। परिवादी श्री रोहित पंवार द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किए गए हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के संबंध में अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को अग्रतर कार्यवाही हेतु उचित निर्देश प्रदान किए जाकर मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रार्थना पत्र सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री रोहित पंवार को मैं पुलिस निरीक्षक हमराह लेकर अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा पढकर परिवादी को सुनाया गया। परिवादी ने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर सहमति प्रकट की तथा पूछने पर प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा अपने हस्तलेख में होना बताया। पूछताछ में परिवादी श्री रोहित पंवार ने बताया कि पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर में मेरे विरुद्ध दर्ज मुकदमा सं. 255/2025 के संबंध में मुझे मुकदमे के अनुसंधान अधिकारी श्री रामकुमार-हैड कानि. 3010 ने कल दिनांक 18.12.2025 को मुक्ता प्रसाद थाने पर बुलाया था। मैंने थाने पर जाकर अनुसंधान अधिकारी श्री राम कुमार - हैड कानि. से वार्ता की तो उन्होंने मुझे काफी देर थाने में बैठाए रखा था, फिर रामकुमार हैड कानि. ने मुझसे 50,000 रुपये खर्चा पानी के मांगते हुए मेरे मुकदमे को थाने पर ही खत्म करके एफ.आर. लगा देने का आश्वासन दिया था तथा खर्चा पानी के यह रुपये नहीं देने पर मुझे गिरफ्तार करके जे.सी. करने तथा मेरे विरुद्ध चालान पेश करने की बात मुझसे कही थी। इस पर मैंने उनसे 50,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए समय मांगा था। आज दिनांक 19.12.2025 को श्री रामकुमार हैड कानि. से पुनः मोबाइल कॉल के माध्यम से मेरा संपर्क हुआ है तथा श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझसे 50,000 रुपये खर्चे पानी के प्राप्त करने के लिए मुझको थाने पर बुलाया है। परिवादी का आधार कार्ड, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 255/2025 पु. था. मुक्ता प्रसाद नगर, जिला बीकानेर की प्रमाणित प्रति संबंधी स्व प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति प्राप्त की जाकर अवलोकन पश्चात् शामिल कार्यवाही दस्तावेज की गई। उक्त प्रार्थना पत्र में परिवादी श्री रोहित पंवार के लिखित तथ्यों, पूछताछ व प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार श्री रामकुमार-हैड कानि. 3010 पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री रोहित पंवार के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाकर खत्म करने की ऐवज में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की परिधि में आना प्रथम दृष्टया पाया जाने पर अग्रतर कार्यवाही किया जाना तय किया गया। समय 01.40 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही की आवश्यकता एवं प्रक्रिया समझाई गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज ही पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, जिला बीकानेर पहुंचकर आरोपित श्री रामकुमार-हैड कांस्टेबल 3010 द्वारा अनुसंधान किए जा रहे मेरे विरुद्ध दर्ज मुकदमा सं. 255/2025 में उनके द्वारा मांगी जा रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। समय 01.45 पीएम पर श्री राजवीर, हैड कानि. 115 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया, परिवादी व आरोपित के मध्य वार्ता के दौरान की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। परिवादी को बताया गया कि रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही ब्यूरो कर्मी श्री राजवीर-हैड कानि. की सहायता से करवाई जानी है। तत्पश्चा्त् श्री राजवीर-हैड कानि. को मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर/डीवीआर मय सील्ड मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर श्री राजवीर-हैड कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया सील्ड मेमोरी कार्ड मालखाना से प्राप्त कर प्रस्तुत किया। परिवादी श्री रोहित पंवार व श्री राजवीर-हैड कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ताएं रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। समय 02.05 पीएम पर नए सील्ड मेमोरी कार्ड को खोला जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु स्थापित किया गया व श्री राजवीर-हैड कानि. को उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड फर्द सुपुर्दगी द्वारा दिया जाकर निर्देशित किया गया कि आप परिवादी के साथ परिवादी के बताए अनुसार पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर के पास पहुंचकर गोपनीयता रखते हुए आरोपित कार्मिक के द्वारा की जा रही रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाएं। समय 02.15 पीएम पर श्री राजवीर-हैड कानि. को डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड

उचित निर्देश प्रदान कर परिवादी श्री रोहित पंवार के साथ ब्यूरो चौकी से पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर के लिए रवाना किया गया। समय 04.22 पीएम तक श्री राजवीर हैड कानि. तथा परिवादी श्री रोहित पंवार से जरिये मोबाइल कॉल निरंतर संपर्क होता रहा। मोबाइल कॉल वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि परिवादी श्री रोहित पंवार को आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. द्वारा थाने पर बैठा लिया गया था तथा इस दौरान डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड परिवादी के पास था। आरोपित द्वारा परिवादी को थाने से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी तथा मोबाइल फोन भी बंद करवाया जा रहा था। इस पर परिवादी से वार्ता करके डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को उसके मित्र श्री करणी सिंह को थाने पर यथासंभव बुलाकर सुपुर्द करने तथा तत्पश्चात् ब्यूरोकर्मी श्री राजवीर सिंह हैड कानि. को सुपुर्द करवाने के निर्देश दिए गए थे। परिवादी द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अपने मित्र श्री करणी सिंह को थाने पर बुलाया जाकर डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर दिया जाना व श्री राजवीर सिंह हैड कानि. द्वारा श्री करणी सिंह से उक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड प्राप्त कर लिया जाना समय 04.22 पी.एम. की वार्ता में ज्ञात हुआ। श्री राजवीर सिंह हैड कानि. को श्री करणी सिंह को साथ लिया जाकर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। हालात सतत रुप से अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। समय 04.40 पीएम पर श्री राजवीर हैड कानि. डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी पर अपने साथ एक व्यक्ति सहित उपस्थित हुए। श्री राजवीर हैड कानि. ने डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे सुरक्षित रखा गया तथा पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना विवरण श्री करणी सिंह पुत्र समुंद्र सिंह राठौड़ उम्र 39 वर्ष निवासी 4/133 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर (मो. नं. होना बताया। रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के हालात के बारे में श्री राजवीर हैड कानि. ने बताया कि ब्यूरो चौकी से रवाना होकर मैं पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचा। डीवीआर की रिकॉर्डिंग चालू की जाकर परिवादी को डीवीआर सुपुर्द किया जाकर पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर को रवाना किया गया। तत्पश्चात् काफी समय तक परिवादी की ओर से कोई संपर्क नहीं होने पर इस दौरान मुझ पुलिस निरीक्षक से निरंतर हुए वार्तालाप के तथ्यों को श्री राजवीर सिंह हैड कानि. ने दोहराया। श्री राजवीर हैड कानि. ने बताया अचानक उत्पन्न परिस्थितियों के परिणामस्वरुप परिवादी श्री रोहित पंवार के द्वारा अपने मित्र श्री करणी सिंह को थाने पर बुलाया जाकर ए.सी.बी. की रिकॉर्डिंग डिवाईस सुपुर्द की जाकर मुझे दिलवाई गई। मैंने श्री करणी सिंह से डीवीआर को प्राप्त किया जाकर चालू रिकॉर्डिंग को बंद किया व उक्त डीवीआर व श्री करणी सिंह को साथ लेकर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ हूं। उपस्थित व्यक्ति श्री करणी सिंह ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री रोहित पंवार मेरा परम मित्र है तथा उसके द्वारा मुझे आज थोड़ी देर पहले थाने पर बुलाया जाकर ए.सी.बी. की एक रिकॉर्डिंग डिवाईस गोपनीय रुप से दी थी तथा यह डिवाईस ए.सी.बी. कर्मी श्री राजवीर हैड कानि. को देने के लिए मैसेज किए थे। इसके पश्चात् मैंने व राजवीर हैड कानि. ने आपस में मोबाइल कॉल वार्ता की जाकर संपर्क किया था तथा मैंने ए.सी.बी. की यह रिकॉर्डिंग डिवाईस सुरक्षित राजवीर हैड कानि. को थाने के बाहर गोपनीय स्थान पर संभला दी थी। उसके बाद मैं राजवीर सिंह हैड कानि. के साथ आपके ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुआ हूं तथा यह डिवाईस राजवीर हैड कानि. ने आपको संभला दी है। मैंने मेरे मित्र रोहित पंवार को थाने में ज्यादा अंदर जाने से मना कर दिया था क्यूंकि मैंने आज दिन में पार्टी में शराब पी हुई थी। इसलिए रोहित पंवार ने खुद थोड़ा सा बाहर की तरफ आकर मुझे यह रिकॉर्डिंग डिवाईस सुपुर्द की थी। रिकॉर्डिंग डिवाईस को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा चैक किया जाने पर एक वार्ता रिकॉर्ड होनी पाई गई जिसे सुना जाने हेतु श्री करणी सिंह को ब्यूरो चौकी पर रुकने के निर्देश दिए जाने पर श्री करणी सिंह ने अपने आवश्यक कार्य से ब्यूरो से जाने व कुछ देर में लौटने की बात मुझ पुलिस निरीक्षक को कही जिस पर श्री करणी सिंह को उचित निर्देश प्रदान कर ब्यूरो चौकी से जाने की अनुमति प्रदान की गई। समय 05.15 पीएम पर परिवादी के माध्यम से रिकॉर्ड करवाई गई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता के डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को परिवादी की अनुपस्थिति में कार्यालय लैपटॉप में कनैक्ट किया जाकर चैक किया गया तो निम्नलिखित विवरण की ऑडियो फाईल मेमोरी कार्ड में सुरक्षित होनी पाई गई- S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION dd-mm-yyyy hhmm (24 Hrs) HASH VALUE (SHA-256) 1 251219_1443 19-12-2025 1443 92a6c3e8f01c0959c6fbc9f55a3e856542cce5a7e51fe2d6f966c1cdb08549db रिकॉर्ड वार्ता अवधि 1 घंटा 37 मिनट 30 सैकंड की होनी पाई गई। वार्ता में प्राप्त तथ्यों के अनुसार दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप जिसमें एक व्यक्ति संभवतः परिवादी तथा अन्य व्यक्ति संभवतः आरोपित होना पाया गया। आरोपित द्वारा ‘‘अगली पार्टी के पैसे निकलने, उनको 50,000 रुपये देने पर राजीनामा होने, एफआर लगाने‘‘ की बात कही गई। इसके अलावा रुपयों के बारे में ‘‘हमारा कुछ नहीं, हमें पैसों से क्या, मैं पैसों की क्यूं बात करुं, अगली पार्टी को मिलना है‘‘ आदि आशय की बातें पाई गई। वार्ता के अनुसार प्रथम दृष्टया आरोपित रामकुमार द्वारा एफ.आई.आर. में 50,000 रुपयों के छीनने का आरोपों पर पार्टी को रुपये दिलवाने की बात ए.सी.बी. परिवादी श्री रोहित पंवार को कहना तथा राजीनामा करवाना प्रतीत हुआ। परिवादी से संपर्क किया जाकर उक्त वार्ता के तथ्यों पर विचार विमर्श किया जाना तथा रिकॉर्ड वार्ता की आवाजों की पहचान करवाया जाना शेष रहा। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इस दौरान समय 06.45 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार से जरिये मोबाइल कॉल वार्ता हुई। परिवादी ने बताया कि मैं मेरे

परिचित के माध्यम से सिफारिश करवाकर थाने से घर पर लौट आया हूं। रिकॉर्ड वार्ता के तथ्यों पर परिवादी ने बताया कि आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझसे रिश्वत की बात नहीं की, दूसरी पार्टी को 50,000 रुपये देने के लिए कहा था, रामकुमार हैड कानि. ने मुझे थाने पर बैठा लिया था। परिवादी से आरोपित के विरुद्ध आगे की कार्यवाही की संभावना के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि अब आगे आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. द्वारा रिश्वत मांगने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी संभावना होने पर मैं तुरंत संपर्क कर लूंगा। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो चौकी पर आने के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं अब ब्यूरो चौकी नहीं आ सकता हूं तथा कल दिनांक 20.12.2025 को ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को कार्यवाही के बारे में उचित निर्देश प्रदान किए गए। समय 06.55 पीएम पर श्री करणी सिंह अपना अनिवार्य कार्य करने के पश्चात् ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए। श्री करणी सिंह ने बताया कि उसके मित्र श्री रोहित पंवार को पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर से कुछ देर पूर्व मुक्त कर दिया गया है, मैं भी अब घर जाना चाहता हूं तथा आवश्यकता होने पर कल दिनांक 20.12.2025 को पुनः उपस्थित हो जाउंगा। समय 07.00 पीएम पर श्री करणी सिंह को कार्यवाही की गोपनीयता रखने के निर्देश दिए प्रदान कर ब्यूरो चौकी से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 20.12.2025 समय 02.15 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 19.12.2025 को ब्यूरो चौकी से श्री राजवीर हैड कानि. के साथ मैं अलग-अलग मोटरसाइकिल से रवाना होकर पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचे थे। श्री राजवीर सिंह हैड कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग को चालू करके डीवीआर मुझे सुपुर्द किया था तथा रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर के लिए रवाना किया था। मैं वहां से रवाना होकर पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर पहुंचा था। आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. मुझे थाने पर मिल गए थे। श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझको थाने पर ही बैठा लिया तथा मेरा फोन बंद करवाकर पूछताछ रिपोर्ट बनाने लग गए थे। श्री रामकुमार जी ने मुझे उनके मुकदमा सं. 255/2025 की परिवादी पार्टी को 50,000 रुपये देने, राजीनामा की बातें कही तथा मुकदमे में एफ.आर. लगा देने की बात कही, रुपये पार्टी को नहीं देने पर चालान करने की बात कही थी। परिवादी ने बताया कि आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझसे स्वयं के लिए रिश्वत न मांगी जाकर पार्टी को देने के लिए 50,000 रुपये के लिए कहा था तथा 50000 रुपये के बारे में मुझे कहा कि "हमें पैसों से क्या है, हमारा कुछ नहीं है, मैं फालतू क्यूं पैसों की बात करुं, अगली पार्टी को मिलने हैं, मुझे नहीं, कागजों में लेंगे, जेल में बंद करुंगा" आदि। श्री रामकुमार जी ने मुझसे कोई हस्ताक्षर कहीं नहीं करवाए थे। इसके बाद मैंने आपसे व मेरे परम मित्र करणी सिंह से बात करके मेरे मित्र श्री करणी सिंह को थाने बुला लिया था। मेरे मित्र करणी सिंह ने ड्रिंक की हुई थी इसलिए वह थाने से बाहर ही रुक गया था मैं तुरंत पानी पीने का बहाना लेकर बाहर की तरफ जाकर ए.सी.बी. का रिकॉर्डिंग वाला डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री करणी सिंह को सुपुर्द कर दिया था तथा ए.सी.बी. कर्मी श्री राजवीर सिंह हैड कानि. के मोबाइल नंबर भी उसको मैसेज से भेज दिए थे। इतने में श्री रामकुमार जी मेरे पीछे-पीछे थाने के बाहर की तरफ आ गए थे और मुझे वापस थाने में अंदर भेज दिया था। इस पर मैं थाने में कुछ दूर अंदर जाकर श्री रामकुमार को देखने लग गया था। श्री रामकुमार स्वयं वहीं थाने के गेट पर पर कुछ देर तक खड़े रहे थे तथा मेरे मित्र करणी सिंह से भी कुछ देर बात की थी। उसके बाद श्री रामकुमार वापस लौटे तथा मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए थे। मैंने करणी सिंह के मोबाइल नंबर भी श्री राजवीर सिंह हैड कानि. को भेजकर मोबाइल कॉल करके डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के बारे में सूचित कर दिया था। उसके बाद श्री रामकुमार हैड कानि. ने पुनः मुझे थाने पर बैठे रहने तथा कही नहीं जाने के लिए कहा। इस पर मैंने अपनी जान-पहचान वालों को फोन करके थाने पर बुलाया तथा मेरी पहचान वाले एक व्यक्ति ने थाने पर मेरी सिफारिश की थी। इस पर श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझे कहा था कि आपके लिए फोन आ गया है इसलिए आप घर जा सकते हो। उसके बाद मैं थाने से रवाना होकर घर पहुंच गया था। इस दौरान मैंने करणी सिंह से भी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के संबंध में बात कर जानकारी ले ली थी। आज दिनांक 20.12.2025 को समय 12.25 पी.एम. पर आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझे मोबाइल कॉल करके कहा कि आप सोमवार दिनांक 22.12.2025 को थाने आकर मोटरसाइकिल संबंधी बैंक के पेपर लेकर आ जाओ तथा आपके पूछताछ रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाने हैं। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रोहित पंवार से आगामी कार्यवाही की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। परिवादी ने बताया कि मेरे परिचित ने मेरे लिए थाने में सिफारिश कर दी है, तथा मेरे विरुद्ध थाने में दर्ज मामला भी झूठा है। इसलिए अब आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. द्वारा सोमवार को या उसके बाद मुझसे रिश्वत मांगने की कोई संभावना नहीं लग रही है। ऐसी संभावना होने पर मैं तुरंत आपसे संपर्क कर लूंगा। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुनने व ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के बारे में अवगत करवाते हुए ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने की कार्यवाही के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास रिकॉर्ड वार्ता को सुनने तथा ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु रुकने का पर्याप्त समय नहीं है, मेरा रिकवरी का काम रहता है। मैं 3-4 दिन बाद समय निकालकर ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही के लिए उपस्थित हो जाउंगा। समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार को उचित निर्देश प्रदान किए जाकर उसके बताए अनुसार ब्यूरो चौकी से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 22.12.2025 समय 12.52 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार से मोबाइल कॉल के माध्यम से वार्ता हुई परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 21.12.2025 को आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझे थाने पर बुलाकर मेरे

मुकदमे से संबंधित तैयार किए गए पूछताछ नोट पर अपने रीडर को कहकर मेरे हस्ताक्षर करवाए थे, आरोपित ने मुझे बैंक संबंधी दस्तावेज लाने के लिए कहा था जिस पर मैं आज दिनांक 22.12.2025 को बैंक से कागज लेने के लिए आया हुआ हूं। परिवादी ने बताया कि यह कागज मैं थोड़ी देर बाद ले जाकर थाने पर दे दूंगा, इस दौरान मुझसे श्री रामकुमार हैड कानि. ने कोई रिश्वत संबंधी वार्ता नहीं की थी। परिवादी को उचित निर्देश प्रदान किए गए। दिनांक 28.12.2025 समय 10.44 एएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार से मोबाइल कॉल के माध्यम से वार्ता हुई। परिवादी ने बताया कि मैं दिनांक 22.12.2025 को थाने पर जाकर मेरे मुकदमे से संबंधित बैंक संबंधी दस्तावेज श्री रामकुमार हैड कानि. के रीडर चेतराम कानि. देकर आ गया था। उसके बाद मुझे थाने पर नहीं बुलाया गया था तथा न मुझसे कोई रिश्वत संबंधी वार्ता ही की गई थी। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि हमारे रिकवरी के काम में महीने के अंत में काफी व्यस्तता रहती है इसलिए मैं 3-4 जनवरी 2026 के बाद ही ट्रांसक्रिप्ट की कार्यवाही के लिए उपलब्ध हो सकता हूं। दिनांक 19.01.2026 समय 11.10 एएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के पास ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु उपस्थित हुआ है। इससे पूर्व परिवादी से जरिये मोबाइल कॉल ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु निरंतर वार्ता होती रही। परिवादी ने बताया कि इस दौरान मेरी व्यावसायिक मजबूरी तथा शरीरिक अस्वस्थता के कारण से मैं ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था, इस दौरान श्री रामकुमार हैड कानि. या अन्य किसी ने मुझसे कोई संपर्क करने का प्रयास नहीं किया गया था, मुझे मेरे मामले की वर्तमान स्थिति की भी कोई जानकारी नहीं है। समय 11.15 एएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाना से पीतल की सील सं. 85 कार्यवाही हेतु प्राप्त की गई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखे हुए कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप में कनैक्ट किया जाकर परिवादी श्री रोहित पंवार व श्री राजवीर सिंह हैड कानि. 115, श्री मनोहरलाल कानि. 115 की उपस्थिति व सहायता से सुन-सुन कर दिनांक 19.12.2025 की रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी प्रारंभ की गई। समय 04.00 पीएम तक रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी रिकार्ड वार्ता दिनांक 19.12.2025 की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर समाप्त की गई। ट्रांसक्रिप्शन कार्यवाही की विस्तृत विवरण की फर्द तैयार की गई। रिकॉर्ड उक्त वार्ता की उक्त एक ऑडियो फाईल को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा साक्ष्य स्वरुप दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर मार्क-A1 अंकित किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को एक कपड़े के टैग के साथ सील किया जाकर अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को लैपटॉप से अलग किया जाकर स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक सेफ्टी कवर मे डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील किया जाकर मार्क- A अंकित किया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उपर्युक्त साक्ष्य प्रादर्श संख्या कुल 3 मालखाना प्रभारी श्री राजेंद्र हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाए गए। परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपित श्री रामकुमार द्वारा सी.आई. साहब व अधिकारी का हवाला दिया जाकर बात करने के बारे में पूछा जाने पर परिवादी ने बताया कि मुझे थाने के सी.आई. अथवा उच्च स्तर के किसी अधिकारी के द्वारा मेरे मामले में रिश्वत संबंधी वार्ता अथवा परेशान करने संबंधी कोई वार्ता नहीं की गई थी, आरोपित श्री रामकुमार द्वारा संभवतः मुझ पर दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसा बार-बार कहा गया था। आगामी कार्यवाही की संभावना को लेकर परिवादी से विचार विमर्श किया गया। परिवादी श्री रोहित पंवार ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मुझ पुलिस निरीक्षक को श्री रामकुमार के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाही की संभावना नहीं होने तथा अब तक कार्यवाही के तथ्यों के आधार पर आगामी कार्यवाही करने हेतु प्रदान किया गया। परिवादी का प्रार्थना पत्र अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रस्तुत किया गया व निर्देश प्राप्त किए गए। उपर्युक्त घटनाक्रम के आधार पर आगामी कार्यवाही संभव नहीं होनी पाई गई। समय 04.40 पीएम कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नबर 85 की फर्द नमूना सील तैयार की गई। समय 05.00 पीएम पर कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नबर 85 को तोड़कर नष्ट कर अनुपयोगी किया गया। फर्द नष्टीकरण पीतल की सील पृथक् से तैयार की गई। उपर्युक्त संपूर्ण कार्यवाही पश्चात् समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार को ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान के निर्देश प्रदान किए गए। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के तथ्यों के आधार पर पाया गया कि आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. द्वारा ए.सी.बी. के परिवादी श्री रोहित पंवार के विरुद्ध अनुसंधान किए जा रहे प्रकरण में ए.सी.बी. परिवादी श्री रोहित पंवार को पचास हजार रुपये मुकदमे के परिवादी पक्ष को दे देने की स्थिति में एफआर लगा देने अन्यथा चालान करने की बातें कही गई। इसके अलावा दूसरे पक्ष को पैसे नहीं देने पर राजीनामा नहीं होने की बातें ए.सी.बी. परिवादी को कही गई। ए.सी.बी. परिवादी श्री रोहित पंवार द्वारा पार्टी को पेमेंट करने पर सहमत नहीं होने की स्थिति मे आरोपित द्वारा परिवादी को थाने पर रोकना व कागजों में ले लेने की बातें कहकर निरंतरता में "जेल में रखेगें रात, अन्दर बंद करेगे, बिल्कुल आपको टाईम दे दिया बार-बार हमारे पास टाईम नहीं हैं, कल ही कहा अधिकारी ने फाईल निकालो जो भी है पैसे देता है तो ठीक है नहीं चालान कर दो बात खत्म हम क्यों पिछे फिरे" आदि बातें भी कही गई। प्रकरण की वतर्मान स्थिति पर प्राप्त सूचना के अनुसार ए.सी.बी. परिवादी श्री रोहित पंवार के विरुद्ध पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर में दर्ज प्रकरण सं. 255/2025 में अनुसंधान अधिकारी आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. 3010 द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जाकर मामला

झूठा पाया जाने पर अनुसंधान निष्कर्ष एफ.आर. अदम वकू-झूठ में दिया गया था। जिसमें अंतिम रिपोर्ट एफ.आर. नंबर 236/23.12.2025 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रकार श्री रोहित पंवार के विरुद्ध दर्ज प्रकरण झूठा होना पाया गया है। अतः आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. द्वारा पुलिस थाना मुक्ता प्रसादनगर, बीकानेर के प्र.सं. 255/2025 में अभियुक्त श्री रोहित पंवार (ए.सी.बी. परिवादी) के विरुद्ध चालान करने का भय दिखाया जाकर अनुचित ढंग से लोक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 50,000 रुपये पुलिस थाना मुक्ता प्रसादनगर, बीकानेर के प्र.सं. 255/2025 के परिवादी पक्ष को देने के लिए कहना पाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा आरोपित द्वारा अनुसंधान किए प्रकरण के आनुसंधानिक निष्कर्ष के आधार पर आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) व 308 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उक्त आरोपित श्री रामकुमार पुत्र रामधन जाणी, उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट पंचायतीया बास, रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर वर्तमान पद- हैड कानिस्टेबल 3010, पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (आनन्द मिश्रा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेरमहोदय, निवेदन है कि दिनांक 19.12.2025 समय 01.15 पीएम पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे युवक से मेरा आपसी परिचय करवाते हुए युवक का विवरण ब्यूरो का परिवादी श्री रोहित पंवार पुत्र श्री छगनलाल पंवार जाति जीनगर, उम्र 36 वर्ष स्थायी पता 1/153 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर वर्तमान पता 3/382 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर (मो.नं.) होना बताया। परिवादी श्री रोहित पंवार द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किए गए हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के संबंध में अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को अग्रतर कार्यवाही हेतु उचित निर्देश प्रदान किए जाकर मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रार्थना पत्र सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री रोहित पंवार को मैं पुलिस निरीक्षक हमराह लेकर अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा पढकर परिवादी को सुनाया गया। परिवादी ने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर सहमति प्रकट की तथा पूछने पर प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा अपने हस्तलेख में होना बताया। पूछताछ में परिवादी श्री रोहित पंवार ने बताया कि पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर में मेरे विरुद्ध दर्ज मुकदमा सं. 255/2025 के संबंध में मुझे मुकदमे के अनुसंधान अधिकारी श्री रामकुमार-हैड कानि. 3010 ने कल दिनांक 18.12.2025 को मुक्ता प्रसाद थाने पर बुलाया था। मैंने थाने पर जाकर अनुसंधान अधिकारी श्री राम कुमार - हैड कानि. से वार्ता की तो उन्होंने मुझे काफी देर थाने में बैठाए रखा था, फिर रामकुमार हैड कानि. ने मुझसे 50,000 रुपये खर्चा पानी के मांगते हुए मेरे मुकदमे को थाने पर ही खत्म करके एफ.आर. लगा देने का आश्वासन दिया था तथा खर्चा पानी के यह रुपये नहीं देने पर मुझे गिरफ्तार करके जे.सी. करने तथा मेरे विरुद्ध चालान पेश करने की बात मुझसे कही थी। इस पर मैंने उनसे 50,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए समय मांगा था। आज दिनांक 19.12.2025 को श्री रामकुमार हैड कानि. से पुनः मोबाइल कॉल के माध्यम से मेरा संपर्क हुआ है तथा श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझसे 50,000 रुपये खर्चे पानी के प्राप्त करने के लिए मुझको थाने पर बुलाया है। परिवादी का आधार कार्ड, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 255/2025 पु. था. मुक्ता प्रसाद नगर, जिला बीकानेर की प्रमाणित प्रति संबंधी स्व प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति प्राप्त की जाकर अवलोकन पश्चात् शामिल कार्यवाही दस्तावेज की गई। उक्त प्रार्थना पत्र में परिवादी श्री रोहित पंवार के लिखित तथ्यों, पूछताछ व प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार श्री रामकुमार-हैड कानि. 3010 पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री रोहित पंवार के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाकर खत्म करने की ऐवज में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की परिधि में आना प्रथम दृष्टया पाया जाने पर अग्रतर कार्यवाही किया जाना तय किया गया। समय 01.40 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही की आवश्यकता एवं प्रक्रिया समझाई गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज ही पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, जिला बीकानेर पहुंचकर आरोपित श्री रामकुमार-हैड कांस्टेबल 3010 द्वारा अनुसंधान किए जा रहे मेरे विरुद्ध दर्ज मुकदमा सं. 255/2025 में उनके द्वारा मांगी जा रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। समय 01.45 पीएम पर श्री राजवीर, हैड कानि. 115 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया, परिवादी व आरोपित के मध्य वार्ता के दौरान की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। परिवादी को बताया गया कि रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही ब्यूरो कर्मी श्री राजवीर-हैड कानि. की सहायता से करवाई जानी है। तत्पश्चा्त् श्री राजवीर-हैड कानि. को मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर/डीवीआर मय सील्ड मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर श्री राजवीर-हैड कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया सील्ड मेमोरी कार्ड मालखाना से प्राप्त कर प्रस्तुत किया। परिवादी श्री रोहित पंवार व श्री राजवीर-हैड कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ताएं रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। समय 02.05 पीएम पर नए सील्ड मेमोरी कार्ड को खोला जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु स्थापित किया गया व श्री राजवीर-हैड कानि. को उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय

स्थापित मेमोरी कार्ड फर्द सुपुर्दगी द्वारा दिया जाकर निर्देशित किया गया कि आप परिवादी के साथ परिवादी के बताए अनुसार पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर के पास पहुंचकर गोपनीयता रखते हुए आरोपित कार्मिक के द्वारा की जा रही रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाएं। समय 02.15 पीएम पर श्री राजवीर-हैड कानि. को डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड उचित निर्देश प्रदान कर परिवादी श्री रोहित पंवार के साथ ब्यूरो चौकी से पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर के लिए रवाना किया गया। समय 04.22 पीएम तक श्री राजवीर हैड कानि. तथा परिवादी श्री रोहित पंवार से जरिये मोबाइल कॉल निरंतर संपर्क होता रहा। मोबाइल कॉल वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि परिवादी श्री रोहित पंवार को आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. द्वारा थाने पर बैठा लिया गया था तथा इस दौरान डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड परिवादी के पास था। आरोपित द्वारा परिवादी को थाने से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी तथा मोबाइल फोन भी बंद करवाया जा रहा था। इस पर परिवादी से वार्ता करके डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को उसके मित्र श्री करणी सिंह को थाने पर यथासंभव बुलाकर सुपुर्द करने तथा तत्पश्चात् ब्यूरोकर्मी श्री राजवीर सिंह हैड कानि. को सुपुर्द करवाने के निर्देश दिए गए थे। परिवादी द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अपने मित्र श्री करणी सिंह को थाने पर बुलाया जाकर डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर दिया जाना व श्री राजवीर सिंह हैड कानि. द्वारा श्री करणी सिंह से उक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड प्राप्त कर लिया जाना समय 04.22 पी.एम. की वार्ता में ज्ञात हुआ। श्री राजवीर सिंह हैड कानि. को श्री करणी सिंह को साथ लिया जाकर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। हालात सतत रुप से अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। समय 04.40 पीएम पर श्री राजवीर हैड कानि. डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी पर अपने साथ एक व्यक्ति सहित उपस्थित हुए। श्री राजवीर हैड कानि. ने डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे सुरक्षित रखा गया तथा पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना विवरण श्री करणी सिंह पुत्र समुंद्र सिंह राठौड़ उम्र 39 वर्ष निवासी 4/133 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर (मो. नं.) होना बताया। रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के हालात के बारे में श्री राजवीर हैड कानि. ने बताया कि ब्यूरो चौकी से रवाना होकर मैं पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचा। डीवीआर की रिकॉर्डिंग चालू की जाकर परिवादी को डीवीआर सुपुर्द किया जाकर पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर को रवाना किया गया। तत्पश्चात् काफी समय तक परिवादी की ओर से कोई संपर्क नहीं होने पर इस दौरान मुझ पुलिस निरीक्षक से निरंतर हुए वार्तालाप के तथ्यों को श्री राजवीर सिंह हैड कानि. ने दोहराया। श्री राजवीर हैड कानि. ने बताया अचानक उत्पन्न परिस्थितियों के परिणामस्वरुप परिवादी श्री रोहित पंवार के द्वारा अपने मित्र श्री करणी सिंह को थाने पर बुलाया जाकर ए.सी.बी. की रिकॉर्डिंग डिवाईस सुपुर्द की जाकर मुझे दिलवाई गई। मैंने श्री करणी सिंह से डीवीआर को प्राप्त किया जाकर चालू रिकॉर्डिंग को बंद किया व उक्त डीवीआर व श्री करणी सिंह को साथ लेकर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ हूं। उपस्थित व्यक्ति श्री करणी सिंह ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री रोहित पंवार मेरा परम मित्र है तथा उसके द्वारा मुझे आज थोड़ी देर पहले थाने पर बुलाया जाकर ए.सी.बी. की एक रिकॉर्डिंग डिवाईस गोपनीय रुप से दी थी तथा यह डिवाईस ए.सी.बी. कर्मी श्री राजवीर हैड कानि. को देने के लिए मैसेज किए थे। इसके पश्चात् मैंने व राजवीर हैड कानि. ने आपस में मोबाइल कॉल वार्ता की जाकर संपर्क किया था तथा मैंने ए.सी.बी. की यह रिकॉर्डिंग डिवाईस सुरक्षित राजवीर हैड कानि. को थाने के बाहर गोपनीय स्थान पर संभला दी थी। उसके बाद मैं राजवीर सिंह हैड कानि. के साथ आपके ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुआ हूं तथा यह डिवाईस राजवीर हैड कानि. ने आपको संभला दी है। मैंने मेरे मित्र रोहित पंवार को थाने में ज्यादा अंदर जाने से मना कर दिया था क्यूंकि मैंने आज दिन में पार्टी में शराब पी हुई थी। इसलिए रोहित पंवार ने खुद थोड़ा सा बाहर की तरफ आकर मुझे यह रिकॉर्डिंग डिवाईस सुपुर्द की थी। रिकॉर्डिंग डिवाईस को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा चैक किया जाने पर एक वार्ता रिकॉर्ड होनी पाई गई जिसे सुना जाने हेतु श्री करणी सिंह को ब्यूरो चौकी पर रुकने के निर्देश दिए जाने पर श्री करणी सिंह ने अपने आवश्यक कार्य से ब्यूरो से जाने व कुछ देर में लौटने की बात मुझ पुलिस निरीक्षक को कही जिस पर श्री करणी सिंह को उचित निर्देश प्रदान कर ब्यूरो चौकी से जाने की अनुमति प्रदान की गई। समय 05.15 पीएम पर परिवादी के माध्यम से रिकॉर्ड करवाई गई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता के डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को परिवादी की अनुपस्थिति में कार्यालय लैपटॉप में कनैक्ट किया जाकर चैक किया गया तो निम्नलिखित विवरण की ऑडियो फाईल मेमोरी कार्ड में सुरक्षित होनी पाई गई- S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION dd-mm-yyyy hhmm (24 Hrs) HASH VALUE (SHA-256) 1 251219_1443 19-12-2025 1443 92a6c3e8f01c0959c6fbc9f55a3e856542cce5a7e51fe2d6f966c1cdb08549db रिकॉर्ड वार्ता अवधि 1 घंटा 37 मिनट 30 सैकंड की होनी पाई गई। वार्ता में प्राप्त तथ्यों के अनुसार दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप जिसमें एक व्यक्ति संभवतः परिवादी तथा अन्य व्यक्ति संभवतः आरोपित होना पाया गया। आरोपित द्वारा ‘‘अगली पार्टी के पैसे निकलने, उनको 50,000 रुपये देने पर राजीनामा होने, एफआर लगाने‘‘ की बात कही गई। इसके अलावा रुपयों के बारे में ‘‘हमारा कुछ नहीं, हमें पैसों से क्या, मैं पैसों की क्यूं बात करुं, अगली पार्टी को मिलना है‘‘ आदि आशय की बातें पाई गई। वार्ता के अनुसार प्रथम दृष्टया आरोपित रामकुमार द्वारा एफ.आई.आर. में 50,000 रुपयों के छीनने का आरोपों पर पार्टी को रुपये दिलवाने की बात ए.सी.बी. परिवादी श्री रोहित पंवार को कहना तथा राजीनामा करवाना प्रतीत हुआ। परिवादी से संपर्क

किया जाकर उक्त वार्ता के तथ्यों पर विचार विमर्श किया जाना तथा रिकॉर्ड वार्ता की आवाजों की पहचान करवाया जाना शेष रहा। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इस दौरान समय 06.45 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार से जरिये मोबाइल कॉल वार्ता हुई। परिवादी ने बताया कि मैं मेरे परिचित के माध्यम से सिफारिश करवाकर थाने से घर पर लौट आया हूं। रिकॉर्ड वार्ता के तथ्यों पर परिवादी ने बताया कि आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझसे रिश्वत की बात नहीं की, दूसरी पार्टी को 50,000 रुपये देने के लिए कहा था, रामकुमार हैड कानि. ने मुझे थाने पर बैठा लिया था। परिवादी से आरोपित के विरुद्ध आगे की कार्यवाही की संभावना के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि अब आगे आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. द्वारा रिश्वत मांगने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी संभावना होने पर मैं तुरंत संपर्क कर लूंगा। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो चौकी पर आने के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं अब ब्यूरो चौकी नहीं आ सकता हूं तथा कल दिनांक 20.12.2025 को ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को कार्यवाही के बारे में उचित निर्देश प्रदान किए गए। समय 06.55 पीएम पर श्री करणी सिंह अपना अनिवार्य कार्य करने के पश्चात् ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए। श्री करणी सिंह ने बताया कि उसके मित्र श्री रोहित पंवार को पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर से कुछ देर पूर्व मुक्त कर दिया गया है, मैं भी अब घर जाना चाहता हूं तथा आवश्यकता होने पर कल दिनांक 20.12.2025 को पुनः उपस्थित हो जाउंगा। समय 07.00 पीएम पर श्री करणी सिंह को कार्यवाही की गोपनीयता रखने के निर्देश दिए प्रदान कर ब्यूरो चौकी से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 20.12.2025 समय 02.15 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 19.12.2025 को ब्यूरो चौकी से श्री राजवीर हैड कानि. के साथ मैं अलग-अलग मोटरसाइकिल से रवाना होकर पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचे थे। श्री राजवीर सिंह हैड कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग को चालू करके डीवीआर मुझे सुपुर्द किया था तथा रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर के लिए रवाना किया था। मैं वहां से रवाना होकर पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर पहुंचा था। आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. मुझे थाने पर मिल गए थे। श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझको थाने पर ही बैठा लिया तथा मेरा फोन बंद करवाकर पूछताछ रिपोर्ट बनाने लग गए थे। श्री रामकुमार जी ने मुझे उनके मुकदमा सं. 255/2025 की परिवादी पार्टी को 50,000 रुपये देने, राजीनामा की बातें कही तथा मुकदमे में एफ.आर. लगा देने की बात कही, रुपये पार्टी को नहीं देने पर चालान करने की बात कही थी। परिवादी ने बताया कि आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझसे स्वयं के लिए रिश्वत न मांगी जाकर पार्टी को देने के लिए 50,000 रुपये के लिए कहा था तथा 50000 रुपये के बारे में मुझे कहा कि "हमें पैसों से क्या है, हमारा कुछ नहीं है, मैं फालतू क्यूं पैसों की बात करुं, अगली पार्टी को मिलने हैं, मुझे नहीं, कागजों में लेंगे, जेल में बंद करुंगा" आदि। श्री रामकुमार जी ने मुझसे कोई हस्ताक्षर कहीं नहीं करवाए थे। इसके बाद मैंने आपसे व मेरे परम मित्र करणी सिंह से बात करके मेरे मित्र श्री करणी सिंह को थाने बुला लिया था। मेरे मित्र करणी सिंह ने ड्रिंक की हुई थी इसलिए वह थाने से बाहर ही रुक गया था मैं तुरंत पानी पीने का बहाना लेकर बाहर की तरफ जाकर ए.सी.बी. का रिकॉर्डिंग वाला डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री करणी सिंह को सुपुर्द कर दिया था तथा ए.सी.बी. कर्मी श्री राजवीर सिंह हैड कानि. के मोबाइल नंबर भी उसको मैसेज से भेज दिए थे। इतने में श्री रामकुमार जी मेरे पीछे-पीछे थाने के बाहर की तरफ आ गए थे और मुझे वापस थाने में अंदर भेज दिया था। इस पर मैं थाने में कुछ दूर अंदर जाकर श्री रामकुमार को देखने लग गया था। श्री रामकुमार स्वयं वहीं थाने के गेट पर पर कुछ देर तक खड़े रहे थे तथा मेरे मित्र करणी सिंह से भी कुछ देर बात की थी। उसके बाद श्री रामकुमार वापस लौटे तथा मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए थे। मैंने करणी सिंह के मोबाइल नंबर भी श्री राजवीर सिंह हैड कानि. को भेजकर मोबाइल कॉल करके डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के बारे में सूचित कर दिया था। उसके बाद श्री रामकुमार हैड कानि. ने पुनः मुझे थाने पर बैठे रहने तथा कही नहीं जाने के लिए कहा। इस पर मैंने अपनी जान-पहचान वालों को फोन करके थाने पर बुलाया तथा मेरी पहचान वाले एक व्यक्ति ने थाने पर मेरी सिफारिश की थी। इस पर श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझे कहा था कि आपके लिए फोन आ गया है इसलिए आप घर जा सकते हो। उसके बाद मैं थाने से रवाना होकर घर पहुंच गया था। इस दौरान मैंने करणी सिंह से भी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के संबंध में बात कर जानकारी ले ली थी। आज दिनांक 20.12.2025 को समय 12.25 पी.एम. पर आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझे मोबाइल कॉल करके कहा कि आप सोमवार दिनांक 22.12.2025 को थाने आकर मोटरसाइकिल संबंधी बैंक के पेपर लेकर आ जाओ तथा आपके पूछताछ रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाने हैं। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रोहित पंवार से आगामी कार्यवाही की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। परिवादी ने बताया कि मेरे परिचित ने मेरे लिए थाने में सिफारिश कर दी है, तथा मेरे विरुद्ध थाने में दर्ज मामला भी झूठा है। इसलिए अब आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. द्वारा सोमवार को या उसके बाद मुझसे रिश्वत मांगने की कोई संभावना नहीं लग रही है। ऐसी संभावना होने पर मैं तुरंत आपसे संपर्क कर लूंगा। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुनने व ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के बारे में अवगत करवाते हुए ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने की कार्यवाही के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास रिकॉर्ड वार्ता को सुनने तथा ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु रुकने का पर्याप्त समय नहीं है, मेरा रिकवरी का काम रहता है। मैं 3-4 दिन बाद समय निकालकर ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही के लिए उपस्थित हो जाउंगा। समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री

रोहित पंवार को उचित निर्देश प्रदान किए जाकर उसके बताए अनुसार ब्यूरो चौकी से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 22.12.2025 समय 12.52 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार से मोबाइल कॉल के माध्यम से वार्ता हुई परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 21.12.2025 को आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. ने मुझे थाने पर बुलाकर मेरे मुकदमे से संबंधित तैयार किए गए पूछताछ नोट पर अपने रीडर को कहकर मेरे हस्ताक्षर करवाए थे, आरोपित ने मुझे बैंक संबंधी दस्तावेज लाने के लिए कहा था जिस पर मैं आज दिनांक 22.12.2025 को बैंक से कागज लेने के लिए आया हुआ हूं। परिवादी ने बताया कि यह कागज मैं थोड़ी देर बाद ले जाकर थाने पर दे दूंगा, इस दौरान मुझसे श्री रामकुमार हैड कानि. ने कोई रिश्वत संबंधी वार्ता नहीं की थी। परिवादी को उचित निर्देश प्रदान किए गए। दिनांक 28.12.2025 समय 10.44 एएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार से मोबाइल कॉल के माध्यम से वार्ता हुई। परिवादी ने बताया कि मैं दिनांक 22.12.2025 को थाने पर जाकर मेरे मुकदमे से संबंधित बैंक संबंधी दस्तावेज श्री रामकुमार हैड कानि. के रीडर चेतराम कानि. देकर आ गया था। उसके बाद मुझे थाने पर नहीं बुलाया गया था तथा न मुझसे कोई रिश्वत संबंधी वार्ता ही की गई थी। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि हमारे रिकवरी के काम में महीने के अंत में काफी व्यस्तता रहती है इसलिए मैं 3-4 जनवरी 2026 के बाद ही ट्रांसक्रिप्ट की कार्यवाही के लिए उपलब्ध हो सकता हूं। दिनांक 19.01.2026 समय 11.10 एएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के पास ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु उपस्थित हुआ है। इससे पूर्व परिवादी से जरिये मोबाइल कॉल ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु निरंतर वार्ता होती रही। परिवादी ने बताया कि इस दौरान मेरी व्यावसायिक मजबूरी तथा शरीरिक अस्वस्थता के कारण से मैं ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था, इस दौरान श्री रामकुमार हैड कानि. या अन्य किसी ने मुझसे कोई संपर्क करने का प्रयास नहीं किया गया था, मुझे मेरे मामले की वर्तमान स्थिति की भी कोई जानकारी नहीं है। समय 11.15 एएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाना से पीतल की सील सं. 85 कार्यवाही हेतु प्राप्त की गई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखे हुए कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप में कनैक्ट किया जाकर परिवादी श्री रोहित पंवार व श्री राजवीर सिंह हैड कानि. 115, श्री मनोहरलाल कानि. 115 की उपस्थिति व सहायता से सुन-सुन कर दिनांक 19.12.2025 की रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी प्रारंभ की गई। समय 04.00 पीएम तक रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी रिकार्ड वार्ता दिनांक 19.12.2025 की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर समाप्त की गई। ट्रांसक्रिप्शन कार्यवाही की विस्तृत विवरण की फर्द तैयार की गई। रिकॉर्ड उक्त वार्ता की उक्त एक ऑडियो फाईल को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा साक्ष्य स्वरुप दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर मार्क-A1 अंकित किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को एक कपड़े के टैग के साथ सील किया जाकर अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को लैपटॉप से अलग किया जाकर स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक सेफ्टी कवर मे डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील किया जाकर मार्क- A अंकित किया गया।डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उपर्युक्त साक्ष्य प्रादर्श संख्या कुल 3 मालखाना प्रभारी श्री राजेंद्र हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाए गए। परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपित श्री रामकुमार द्वारा सी.आई. साहब व अधिकारी का हवाला दिया जाकर बात करने के बारे में पूछा जाने पर परिवादी ने बताया कि मुझे थाने के सी.आई. अथवा उच्च स्तर के किसी अधिकारी के द्वारा मेरे मामले में रिश्वत संबंधी वार्ता अथवा परेशान करने संबंधी कोई वार्ता नहीं की गई थी, आरोपित श्री रामकुमार द्वारा संभवतः मुझ पर दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसा बार-बार कहा गया था। आगामी कार्यवाही की संभावना को लेकर परिवादी से विचार विमर्श किया गया। परिवादी श्री रोहित पंवार ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मुझ पुलिस निरीक्षक को श्री रामकुमार के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाही की संभावना नहीं होने तथा अब तक कार्यवाही के तथ्यों के आधार पर आगामी कार्यवाही करने हेतु प्रदान किया गया। परिवादी का प्रार्थना पत्र अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रस्तुत किया गया व निर्देश प्राप्त किए गए। उपर्युक्त घटनाक्रम के आधार पर आगामी कार्यवाही संभव नहीं होनी पाई गई। समय 04.40 पीएम कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नबर 85 की फर्द नमूना सील तैयार की गई। समय 05.00 पीएम पर कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नबर 85 को तोड़कर नष्ट कर अनुपयोगी किया गया। फर्द नष्टीकरण पीतल की सील पृथक् से तैयार की गई। उपर्युक्त संपूर्ण कार्यवाही पश्चात् समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पंवार को ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान के निर्देश प्रदान किए गए। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के तथ्यों के आधार पर पाया गया कि आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. द्वारा ए.सी.बी. के परिवादी श्री रोहित पंवार के विरुद्ध अनुसंधान किए जा रहे प्रकरण में ए.सी.बी. परिवादी श्री रोहित पंवार को पचास हजार रुपये मुकदमे के परिवादी पक्ष को दे देने की स्थिति में एफआर लगा देने अन्यथा चालान करने की बातें कही गई। इसके अलावा दूसरे पक्ष को पैसे नहीं देने पर राजीनामा नहीं होने की बातें ए.सी.बी. परिवादी को कही गई। ए.सी.बी. परिवादी श्री रोहित पंवार द्वारा पार्टी को पेमेंट करने पर सहमत नहीं होने की स्थिति मे आरोपित द्वारा परिवादी को थाने पर रोकना व कागजों में ले लेने की बातें कहकर निरंतरता में "जेल में रखेगें रात, अन्दर बंद करेगे, बिल्कुल आपको टाईम दे दिया बार-बार हमारे पास टाईम नहीं हैं, कल ही कहा अधिकारी ने फाईल निकालो जो भी है पैसे देता है तो ठीक है नहीं

चालान कर दो बात खत्म हम क्यों पिछे फिरे" आदि बातें भी कही गई। प्रकरण की वतर्मान स्थिति पर प्राप्त सूचना के अनुसार ए.सी.बी. परिवादी श्री रोहित पंवार के विरुद्ध पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर में दर्ज प्रकरण सं. 255/2025 में अनुसंधान अधिकारी आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. 3010 द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जाकर मामला झूठा पाया जाने पर अनुसंधान निष्कर्ष एफ.आर. अदम वकू-झूठ में दिया गया था। जिसमें अंतिम रिपोर्ट एफ.आर. नंबर 236/23.12.2025 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रकार श्री रोहित पंवार के विरुद्ध दर्ज प्रकरण झूठा होना पाया गया है।अतः आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. द्वारा पुलिस थाना मुक्ता प्रसादनगर, बीकानेर के प्र.सं. 255/2025 में अभियुक्त श्री रोहित पंवार (ए.सी.बी. परिवादी) के विरुद्ध चालान करने का भय दिखाया जाकर अनुचित ढंग से लोक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 50,000 रुपये पुलिस थाना मुक्ता प्रसादनगर, बीकानेर के प्र.सं. 255/2025 के परिवादी पक्ष को देने के लिए कहना पाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा आरोपित द्वारा अनुसंधान किए प्रकरण के आनुसंधानिक निष्कर्ष के आधार पर आरोपित श्री रामकुमार हैड कानि. के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) व 308 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उक्त आरोपित श्री रामकुमार पुत्र रामधन जाणी, उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट पंचायतीया बास, रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर वर्तमान पद- हैड कानिस्टेबल 3010, पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (आनन्द मिश्रा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) व 308 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपी श्री रामकुमार पुत्र रामधन जाणी, उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट पंचायतीया बास, रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर वर्तमान पद- हैड कानिस्टेबल 3010, पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, जिला बीकानेर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती पिंकी गंगवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 927 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 815-18 दिनांक 17.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2-पुलिस अधीक्षक, जिला बीकानेर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PINKI GANGWAL **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/05/2026 11:06:45

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)